न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या-331/2011

बिमलादेवी पत्नी सुरेन्द्रसिंह काजला जाति जाट निवासीनी जेरठी तहसील व जिला सीकर (राज0)

--अपीलान्ट---

---बनाम---

1- अशोककुमार तथाकथित दत्तक पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी जेरठी तहसील व जिला सीकर ।

2-श्यामाराम (मृत)

2/1- रतनीदेवी पत्नी
2/2- रिछपालसिंह पुत्र
2/3- भगवानसिंह पुत्र
2/4- काना पुत्र
2/5- नेमीचन्द पुत्र
2/6- किस्तूरी पुत्री
2/7- सुखदेवी पुत्री

) स्व0 श्यामाराम जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी (सुभाषनगर) तहसील व जिला सीकर (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3- भगोती पुत्री छतुराम
4- कुरड़ा पुत्र नारायण
5- गणपत पुत्र पोखर
6- रामचन्द्र पुत्र पोखर
7- दुर्गाराम पुत्र पोखर
8- केशरदेव पुत्र हरदेवा

) जाति जाट निवासी जेरठी (सुभाषनगर) तहसील व जिला सीकर (राज0)

9- कानाराम पुत्र श्यामाराम) जाति जाट निवासी जेरठी (सुभाषनगर)
10- दलु बेवा छतु (नाम हजफ)) तहसील व जिला सीकर (राज0)

11- गीता पुत्री छतु पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी गोठड़ा भूखरान तहसील व जिला सीकर ।

12- रामेश्वर पुत्र रूपाराम
13- ईशार पुत्र रूपाराम
14- रणजीत पुत्र रूपाराम
15- हणमान पुत्र रूपाराम
16- प्यारेलाल पुत्र बिडदाराम
17- महेन्द्र पुत्र बिडदाराम
18- परमेश्वरी पत्नी बिडदाराम

जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी (सुभाषनगर) तहसील व जिला सीकर ।

19- प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक कूदन जिला सीकर ।

20- उप पंजीयक अधिकारी, सीकर ।

21- तहसीलदार सीकर ।

22- राजेशकुमार पुत्र गणपतसिंह जाति जाट निवासी जेरठी सुभाषनगर तहसील व जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 21-11-2011 सहायक
(द्वितीय) सीकर ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बनवारीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट-1, 7

3- श्री राकेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट-11

निर्णय दिनांक- 23.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-2 से 8 ने दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा दुरूस्तीकरण, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया वादी सं0-1 से 3, प्रतिवादी सं0- 3 से5 स्वर्गीय भोजाराम के वारिस है। गांव जेरठी(सुभाष नगर) तहसील व जिला सीकर में आराजी खसरा नं0 271 रकबा 0.89 हैक्टर, ख0नं0 597 रकबा 1.56 हैक्टर ख0नं0 912 रकबा 2.14 हैक्टर, ख0नं0 906 रकबा 1.86 हैक्टर, ख0नं0 1037 रकबा 0.61 हैक्टर, ख0नं0 227 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 228 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 724 रकबा 0.61 हैक्टर, ख0नं0 725 रकबा 1.71 हैक्टर, ख0नं0 785 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 786 रकबा 2.18 हैक्टर अवस्थित है ।उक्त आराजी में ख0नं0 271, 597, 906, 912 कुल किता-4 रकबा 6.45 हैक्टर के हिस्सा 5/6 में से वादी सं0-1 व 3 का 332 हिस्सा व 0.33 हैक्टर में से 2/3 हिस्सा है तथा वादिया सं0-2 तथा प्रतिवादी सं0-3 से 5 का 0.33 हैक्टर हिस्से में से 1/3 हिस्सा तथा 1.19 हैक्टर हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है ।उपरोक्त भूमियों में किसी भी भाग पर प्रतिवादी सं0-3 व 4 का कब्जा नहीं है । ख0नं0 1036 व 1037 कुल किता-2 रकबा 1.56 हैक्टर में रूघनाथ पुत्र रूपा हिस्सा 1/2 का शुद्ध पत्र दिनांक 5-7-2007 से रूघनाथ के स्थान पर रूपा पुत्र घडसी के नाम से हिस्सा 1/2 रेकार्ड में दर्ज किया गया है ।जबकि उनका मात्र 0.50 हैक्टर पर ही कब्जा रहा है। बाद में विरासत के आधार पर प्रतिवादी सं0-6 से 12 के नाम पर गलत रूप से खातेदारी दर्ज होकर चली आ रही है।खसरा नम्बर 227, 228 रकबा 0.10 हैक्टर गांव जेरठी के राजस्व रेकार्ड में खातेदारी वादी सं0-4 से 7 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है परन्तु बाहमी बंटवारे के अनुसार दूसरी भूमि हक में आयी हुई है । यह भूमि वादी सं0-2 व प्रतिवादी सं0-5 के हक में आयी है । प्रतिवादी सं0-5 अशोक को बाल्यावस्था में ही उसके नाम स्व0 छतुराम व नानी दलु हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पुत्र सन्तान नहीं होने पर गोद ले लिया । गोद लेने के थोडे दिन बाद छतुराम का देहांत हो गया ।इसके बाद दलु ने दिनांक 25-2-1989 को गोदनामा रजिस्टर्ड करवा

पुत्रियां भागोती, गीता व अशोक सभी का बराबर बराबर हक हिस्सा व कब्जा काश्त रहा है । किन्तु गलती से राजस्व रेकार्ड में अशोककुमार का नाम दर्ज नहीं होने से छतुराम की पत्नी व पुत्रियों के मन में बेईमानी आ गई । विवादित आराजी का आज से 25 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा हो गया था। जिसमें निम्नप्रकार से अलग अलग काश्त करते हैं:-

ख0नं0 597 रकबा 1.56 हैक्टर भागोती, गणपत रामचन्द्र दुर्गाराम व प्रतिवादी सं0-5 अशोक कुमार का कब्जा काश्त ।

ख0नं0 906 रकबा 1.86 हैक्टर श्यामाराम का कब्जा काश्त

ख0नं 912 रकबा 2.14 हैक्टर में से रकबा 0.14 हैक्टर पर वादी श्यामा राम व शेष रकबा 2.00 हैक्टर पर वादी कुरडाराम का कब्जा काश्त है ।

ख0नं0 1037 रकबा 0.61 हैक्टर पर वादी श्यामराम

ख0नं0 1036 रकबा 0.95 हैक्टर में से रकबा 0.50 हैक्टर प्रतिवादी सं0- 6 से 12 व शेष रकबा 0.45 हैक्टर वादी श्यामाराम

ख0नं0 724 रकबा 0.61 हैक्टर वादी श्यामाराम

ख0नं0 725 रकबा 1.71 हैक्टर वादी कुरड़ाराम

ख0नं0 785 व 786 वादी सं0- 2 व प्रतिवादी सं0-3 व 4 को बंटवारे में प्राप्त हुआ। विक्रय के बाद वर्तमान में प्रतिवादी सं0- 2 व 16 काबिज है।

ख0नं0 227, 228 कुल रकबा 0.10 हैक्टर वादीनी सं0-2 व प्रतिवादी सं0-5

खसरा नं0 271 रकबा 0.89 हैक्टर वादी श्यामाराम 1/2 तथा केशाराम का 1/2 हिस्सा है ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के पक्ष आपसी सहमति से बंटवारा होकर काबिज काश्तकार दर्ज है ।आराजी के उपजाऊमन के हिसाब से रकबा कम ज्यादा प्राप्त हुआ जिसमें वादी सं0- 1 व 3 व इनके पूर्वजों को रकबा में अधिक तथा वादी सं0-2 व प्रतिवादी सं0- 3 से 5 को कम रकबा दिया गया ।वादीगण सं0-1 से 3 को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमियोंमें प्रतिवादी सं0-3 व 4 का नाम गलत रूप से रह जाने और प्रतिवादी सं0-5 के हक हिस्से की भूमिया भी सर्वथा अवैध अनाधिकृत और गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम

सं0-1 तथा 3 व 4 ने बेईमानी और कपटपूर्वक वादी सं0-1 से 3 व प्रतिवादी सं0-5 के हक हिस्से की विकसीत भूमियों को हडपने की दुर्भावना से आपस में दुभि संधि कर षड्यन्त्र रचकर उपरोक्त भूमियां खसरा नं0 271, 597, 912, 724, 725, 227, 228, 1036, 1037 के बाबत प्रतिवादी सं0-3 व 4 ने प्रतिवादीनी सं0-1 के हक में दिनांक 28-8-2008 को एक अवैध विक्रय पत्र निष्पादीत एवं पंजीकृत करवा दिया ।जिसके आधार पर नामा0सं0-809 दिनांक 5-9-2008 को प्रतिवादी सं0-1 के नाम तस्दीक कर दिया गया ।उक्त विक्रय पत्र सर्वथा अवैध शून्य व प्रभावहीन है। इस विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या-1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा उक्त नामान्तरकरण सं0-809 भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रतिवादी संख्या-1 का पति भूमाफिया गिरोह का व्यक्ति है जो वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है ।तथा आराजी को अन्तरण करने की धमकी दे रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस मकसद में सफल हो जाते हैं तो वादीगण को असीम क्षति होगी। प्रतिवादीनी संख्या-1 ने विवादित आराजी को हस्तान्तरण करने की नियत से दिनांक 2-10-2008 को तीन चार व्यक्तियों को अपने पति के साथ लेकर आई तथा उक्त आराजी के बैचान के बाबत विवादित भूमियों को दिखा रही थी ।तथा उनको यह कह रही थी इनको तो मैं बाहर फिंकवा दूगी तथा आपको कब्जा करवा दूंगी ।जिस पर वादी ने यह दावा किया है । वादीगण का उक्त विवादित आराजी पर दावा की मद संख्या 6 में दर्ज हिस्सानुसार कब्जा काश्त है तथा यह कब्जा आपसी पारिवारिक सहमति से आज से 25 वर्ष पूर्व बंटवारा कर कब्जा सम्भाल रखा है ।किन्तु प्रतिवादी की नियत में राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज हो जाने से मन में बेईमानी आ गई ।जिसके कारण वह वादीगण को इस आराजी से बेदखल कर कब्जा अन्य को सम्भलाने पर आमादा है ।अतः दावा पेश होने पर बहस विद्वान अभिभाषकगण की सुनी जाकर दावा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । जबाब दावा का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है । वादी ने अपने दावे में अलग अलग तरह का विवाद होना दर्ज किया है। दावा में क्या रिलीफ चाही और अदालत मातहत ने क्या निर्णय किया कोई स्पष्ट नहीं दावे में सभी प्रतिवादीगण की तामिल नहीं हुई और ना ही सभी प्रतिवादी -गण की ओर से जबाब दावा लिया गया । और ना ही साक्ष्य ली गई । ना ही दावे में तनकीयात कायम की गई है ।अदालत मातहत का निर्णय कानून के विपरित है ।दावा गलतियों को दुरूस्त कराने का भी था योग्य अदालत मातहत ने उन गलतियों को दुरूस्त क्यों नहीं किया क्या कारण रहा अपने निर्णय में नहीं लिखा । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को छतू का दत्तक (गोद) पुत्र मानकर वाद में छतू के क्रमशः चार वारीस रेस्पोडेन्ट सं0-1, 3, 10, 11 को मानकर वाद वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 28-8-2008 को जो रेस्पोडेन्ट सं0-10, 11 द्वारा अपने हिस्से का अपीलान्ट के पक्ष में करवाया गया था अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया गया है । जिसके सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति थी जिस व्यक्ति प्रतिवादी सं0-5 अशोककुमार को थी उसको वाद प्रस्तुत करना चाहिये था । उसको तो कोई ऐतराज नहीं है । ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद लाने की क्या जरूरत पडी स्पष्ट नहीं है वाद में पक्षकारों के मध्य मुख्य रूप से विवाद बंटवारा किये जाने के सम्बन्ध में था जिसके बारे में निर्णय किया जाना था जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अशोक कुमार मृतक छतूराम का दत्तक पुत्र नहीं है और ना ही छतूराम ने अशोककुमार को कभी गोद लिया। दलू ने गोदनाम में छलू राम द्वारा गोद लेना दर्ज किया है। जबकि दलु ने अशोककुमार को गोद होना मान्य नहीं किया, ना ही अशोककुमार दलु की सेवा सुश्रूष टहल बन्दगी की है ना ही भरण पोषण करता है ।बल्कि गोद नामे को फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ बताया है ।जिसके बाबत सिविल न्यायालय में गोदनामा को निरस्त कराने का वाद विचाराधीन है । वैसे भी

उक्त आराजीदलु की स्वअर्जित आराजी है। जिसको वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-14 के तहत दलु को अपनी सम्पदा को वसीयत दान विक्रय करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत ने केवल बाहवनाओं बहकर निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट सद्भावी क्रेता है जो मौके पर काबिज है ।विक्रय पत्र को आज दिनाक तक निरस्त नहीं करवाया गया है । विवादित आराजी पैतृक भी साबित नहीं है। छतुराम की मृत्यु सन् 1980 से पूर्व हो गई थी जिसके बाद विरासत का नामान्तरकरण सं0-531/1986 भरा गया जिसमें अशोककुमार का नाम नहीं है । अशोककुमार छतु के गोद पुत्र होता तो छतु के मरने के बाद विरासत का नामान्तरकरण में अशोक कुमार का नाम भी दर्ज होता किन्तु छतु ने अशोक को अपने जीवनकाल में व कभी भी गोद नहीं लिया । गोद पुत्र के रूप मे नामान्तरकरण में नाम दर्ज नहीं होने पर अशोक कुमार ने कोई ऐतराज भी नहीं किया । और ना ही नामान्तरकरण मे अपना नाम दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की है । अशोक कुमार अपने पिता बंजरंगलाल के पास अपने गांव कंवरपुरा में ही शुरू से ही रह रहा है ।मतदाता सूची एवं अन्य दस्तावेज कंवरपुरा व सीकर के ही है ।अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर भी कोई गौर न कर अपना गलत निर्णय दिया है । अदालत मातहत ने अशोककुमार को छतुराम का पुत्र मान कर जो निर्णय दिया है वह विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया ।जमाबन्दी सं0-2062 से 2065 में खेवट खतौनी सं0-46 में ख0नं0 271,597,906,912 कुल किता-4 रकबा 6.45 हैक्टर में कुल हिस्सा 5/6 दलू बेवा छतू भागोती व गीता पुत्रियां छतू, कुरडा पुत्र नारायण गोरा बेवा नारायण श्यामा पुत्र भोजा हि0 33 हि0ब0 दर्ज है ।नामान्तरकरण सं0-809 विक्रय पत्र से दलु बेवा छतू गीता भागोती पुत्रियां छतू के हिस्से में से हि0 130 की खातेदारी बिमलादेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह काजला के नाम हि0 1.083 हैक्टर भागोती पुत्री छतु हि0 0.542 हैक्टर दर हि0 130 स्वीकार हुआ है । ख0नं0 1036, 1037 कुल किता-2 रकबा 1.5600 हैक्टर की खातेदारी दलू बेवा छतू भागोती गीता पुत्रिया छतु कुरडा पुत्र नारायण मु0 गोरा बेवा नारायण श्यामा पुत्र भोजा हि0 1/2 दर्ज है शेष 1/2 हिस्सा के अन्य खातेदार दर्ज है ।जिस पर नामान्तरकरण सं0 809 के द्वारा विक्रय पत्र से दलू व गीता के हिस्सा 1/9 के स्थान पर विमला देवी पत्नी नरेन्द्रसिंह काजला के नाम दर्ज किया है । ख0नं0 724,725 कुल किता-2 रकबा 2.32 हैक्टर की खातेदारी दलू बेवा छतू भागोती, गीता पुत्रिया छतू हि0 1/2 शेष हिस्सा 1/2 अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है । नामान्तरकरण सं0-809(विक्रय पत्र) से दलू व गीता के 1/3 हिस्सा के स्थान पर विमलादेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह काजला के नाम दर्ज हुआ है । विक्रय पत्र दिनांक 28-8-2008 में दलू बेवा छतू, गीता पुत्री छतू में अपने हिस्से का विक्रय विमलादेवी अपीलान्ट के पक्ष में किया है । विक्रय पत्र दिनांक 5-11-1990 में मु0 दलु पत्नी छतु, गीता ~~भागोती~~ पुत्री छतु, कुरडा पुत्र नारायण मु0 गोरा बेवा नारायण ने अपने हिस्से की आराजी ख0नं0-785,786, में सम्पूर्ण हिस्सा का बैचान कानाराम पुत्र श्यामाराम को किया गया है । अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह आया कि दिनांक 16-7-2009 को पत्रावली प्रतिवादी सं0-5,7 से 10,16 व जबाब दिनांक 3-8-009 को पेश होने का आदेश दिया ।इसके बाद दिनांक 14-9-11

इस पेशी पर प्रतिवादी सं0-1, 3, व 4 ने जबाब दावा पेश किया। इसके बाद प्रतिवादी सं0-5 व 3 का व जबाब दावा आना दर्ज किया ।इसके बाद न तो अदालत मातहत ने शेष प्रतिवादीगण की तलबी हुई अथवा नहीं कोई आदेश नहीं दिया । न ही किसी पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश की तथा ना ही दावे में जबाब दावा अथवा दावे के आधार पर तनकीयात का निधारण किया गया है।इस सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर आरएलडब्लू 2009(1)राज0 पेज 387, आरआरटी 2009-10(एस0सी0) पेज 485 पेश की जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दावे में जबाब दावा आने पर तनकीयो को निर्धारण कर साक्ष्य सबूत लेते हुये प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय किया जाना चाहिये था ।विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों से हम पूर्णतया सहमत है कि आदेश-14 नियम-3 सीपीसी एवं आदेश-20 नियम-5 सीपीसी एक आज्ञापक नियम है जिनकी घोषणात्मक के दावे में पूर्णतया पालना की जानी चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने उक्त दोनो ही आदेशों की कोई पालना नहीं की जो विधि संगत नहीं है । वादी का दावा बंटवारा का भी अदालत मातहत में बंटवारा के दावे मे प्राथमिक डिक्री पारित करनी आवश्यक है अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करते सहयम इस बिन्दू पर भी कोई गौर नहीं किया और ना ही रेकार्ड दुरूस्ती बाबत कोई सहायता अपने आदेश मे दी है जो विधि के विपरित है इसके समर्थ मे भी विद्वान वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर 2014(2) आरआरटी पेज- 1157, आरआरटी 2014(2) पेज-1136 पेश की है जिसमें भी बंटवारा के निर्णय मे भी तनकीवार निर्णय कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये ।अदालत मातहत की पत्रावली में भी दावे मे अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया को नही अपनाया है । अपीलान्ट विक्रय पत्र के आधार पर मौके की जांच करने के बाद नामान्तरकरण सं0-809 के द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुआ है । विक्रय पत्र भी आज दिनांक तक प्रभाव में है । अदालत मातहत ने इस बात के बाबत भी अपने निर्णय मे कोई उल्लेख नहीं किया।

इस प्रकार अदालत मातहत ने अपना निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया है । जिसमे सभी प्रतिवादीगण की न तो तलबी हुई है ना ही जबाब दावा आया और ना ही दावा व जबाब दावा के आधार पर तनकीयो का निर्धारण किया और ना ही साक्ष्य सबूत लेकर तनकीवाईज निर्णय किया । जबकि विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आदेश-14 नियम-3 व आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना की जाकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये। अतः हम प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-11-2011 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण योग्य अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण से जबाब दावा लेकर आदेश-14 नियम-3 सीपीसी एवं आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना करते हुये साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 28-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.7.2018 को सुनाया गया ।

23/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर